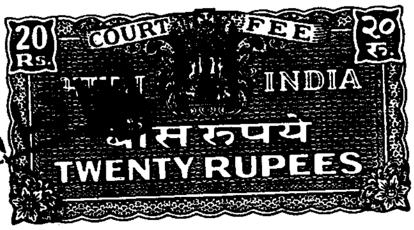

BEFORE THE BOARD OF REVENUE PRINCIPAL AT

GWALIOR R - 2433-PBR/14

Revenue Revision No. /2014

PETITIONER : **Smt. Pushpa Bai** W/o Ramsewak Mehra, aged about 38 years, R/o Village Anhai, Tahsil Bankhedi, District Hoshangabad (M.P.)

5-8-14

VERSUS

RESPONDENT : **State of M.P.** through Collector, District Hoshangabad (M.P.)

REVENUE REVISION U/S 50 OF M.P. LAND REVENUE CODE, 1959

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0 2433–पीबीआर/14 **जिला होशंगाबाद**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2–9–2015	आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता एवं स्थगन पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । आयुक्त के आदेश दिनांक 17–6–2014 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष प्रथम दृष्टया विधिसंगत है कि आवेदिका वर्तमान में कोटवार पद पर कार्यरत नहीं है, इसलिये प्रश्नाधीन भूमि पर उसको कोई पात्रता नहीं रह जाती है । कोटवार की भूमि सेवा भूमि होती है, जो कि पारिश्रमिक पर दी जाती है, और ऐसी भूमि पर किसी को न तो मौरूषी हक प्राप्त होते हैं और न ही स्वत्व । उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में आयुक्त द्वारा अपील अग्राह्य करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता नहीं की गई है, इसलिये यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	